# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजि0न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | 2019/00010 | 28.01.2019 | 02.12.2025 |

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.ग्राम पंचायत मालाखेडा, जरिये सचिव ग्राम पंचायत मालाखेडा।

—अप्रार्थी

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
01. राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02. श्री रज्जन कुमार सिद्ध —वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 में ग्राम मालाखेडा के खसरा नम्बर 781 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै०मु० जोहड राजकीय खाते में दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 में ग्राम मालाखेडा के साबिक खसरा नम्बर 781 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा गै०मु० जोहड हाल खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.60 हे० बने है. ख0न0 1546 रकबा 0.60 हे० गैमु० जोहड राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। ग्राम पंचायत मालाखेडा को आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट के तहत जर्ये नामान्तकरण सं० 624 दिनांक 10.12.2002 से खसरा न0 1546 रकबा 0.60 हे० गे०मु० जोहड को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश कमांक राजस्व/आबादी/8108—12 दिनांक 16.11.2002 व श्रीमान शासन उप सचिव महोदय के आदेश कमांक (ग्रुप—3) विभाग के आदेश कमांक प02 (263) राज०/ग्रुप—3/2002 दिनांक 26.10.2002 की पालना में गै०मु० जोहड के बजाय गै०मु० आबादी भूमि किस्म परिवर्तन कर ग्राम पंचायत मालाखेडा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड संवत 2020, 2051 के अनुसार गै०मु० जोहड दर्ज रिकार्ड थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में शामिल होने तथा अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबन्धित होने के कारण गै०मु० जोहड भूमि में किये आवंटन तथा उसके आधार पर दर्ज किये परिवर्तन सभी प्रारंभ से ही शून्य होने से काबिल खारिज है। उक्त भूमि जल भराव एवं बहाव से संबंधित होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय के परिपेक्ष्य में भी किसी को नहीं दी जा सकती तथा उक्त प्रकार की भूमियों का कृर्षि या अन्य उपयोग नही किया जा सकता। उक्त भूमि की किस्म पूर्व रिकार्ड में गै०मु० जोहड होने के व जल भराव के कार्य में आने वाली भूमि थी जिसे आवंटन करना विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अन्य उपयोग हेतु वर्जित रखी गयी है।

अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मालाखेडा के साबिक खसरा नं0 781 से बने हाल नम्बर 1546 रकबा 0.60 जो कि संवत 2020, 2051, 2061 में गै०मु० जोहड दर्ज थी उसके बाद के समस्त परिवर्तन नामान्तकरण को खारिज किया जाकर गै०मु० आबादी के बजाय गै०मु० जोहड सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के आदेश कमांक राजस्व/आबादी/8108–12 दिनांक 16.11.2002 व श्रीमान शासन उप सचिव महोदय के आदेश कमांक (ग्रुप–3) विभाग के आदेश कमांक प02 (263) राज०/ग्रुप–3/2002 दिनांक 26.10.2002 की पालना में गै०मु० जोहड के बजाय गै०मु० आवादी भूमि किस्म परिवर्तन कर ग्राम पंचायत मालाखेडा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है को चुनौती दी गई है।

अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मालाखेड़ा ने आबादी विस्तार हेतु खसरा नं. 1546 रकबा 0.60 हे. को आरक्षित किये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया। सहायक नगर नियोजक (एन0सी0आर0) ने इस भूमि को आबादी विस्तार हेतु सशर्त अनापत्ति प्रदान की। राज्य सरकार (शासन उप सचिव, राजस्व विभाग) ने भूमि की किस्म "गैर–मुमकिन जोहड़" को परिवर्तित करने की स्पष्ट स्वीकृति जारी की। उक्त स्वीकृति के अनुसार जिला कलक्टर, अलवर ने धारा 92 सहपठित धारा 102 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किस्म परिवर्तन एवं आबादी विस्तार हेतु आरक्षण आदेश पारित किया।

राज्य सरकार के आदेश में निम्न तीन स्पष्ट शर्तें निर्धारित की गई –

1. राजगढ़ रोड की मध्य रेखा से 30 फुट भूमि छोड़ना।
2. पंचायत भवन व भूमि के मध्य 40 फुट सड़क यथावत रखना।
3. विकास कार्य से पूर्व उप नगर नियोजक से ले–आउट प्लान अनुमोदित कराना।

तहसीलदार द्वारा दायर रेफरेंस प्रार्थना पत्र में, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इन शर्तों के उल्लंघन का कोई आरोप, विवरण या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधिक स्थिति अनुसार धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों के उपयोग पर रोक लगाती है। किन्तु जब राज्य सरकार स्वयं सक्षम प्राधिकारी के रूप में भूमि की किस्म परिवर्तित कर दे, तो धारा 16 स्वतः लागू नहीं रहती। धारा 92 एवं 102, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 राज्य सरकार को यह अधिकार है कि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु, विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार के लिये भूमि की किस्म परिवर्तित कर आरक्षण/आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर सके। यह प्रक्रिया इस प्रकरण में पूर्णतः विधि–अनुसार अपनाई गई है।

अब्दुल रहमान बनाम स्टेट (राज. हाईकोर्ट) का निर्णय उन परिस्थितियों में लागू होता है जहाँ जल भराव/नाली/नाले की भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनियमित/अवैध आवंटन किया गया हो। परंतु इस प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (राज्य सरकार) द्वारा विधिवत किस्म परिवर्तन किया गया है, अतः यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। रिकॉर्ड के अवलोकन से निम्न तथ्य पूर्णतः सिद्ध होते हैं कि भूमि की किस्म परिवर्तन पूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। राज्य सरकार का आदेश विधिसम्मत एवं सक्षम अधिकार क्षेत्र में पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा दायर रेफरेंस प्रार्थना पत्र में कोई शर्त उल्लंघन, प्रक्रिया दोष, अधिकारी की अनियमितता या आदेश की विधिक त्रुटि सिद्ध नहीं की गई। राज्य सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उचित नहीं है। प्रार्थी का आधार कि "जोहड़ भूमि प्रतिबंधित है" सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस्म परिवर्तन होने के बाद लागू नहीं रहता। तदनुसार, संपूर्ण प्रकरण का परीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-02(263) राज/ग्रुप–3/2002 दिनांक 26.10.2002 तथा जिला कलक्टर, अलवर का आदेश राजस्व/आबादी/8108–12 दिनांक 16.11.2002 पूर्णतः विधि–सम्मत, वैध एवं प्रभावी हैं। प्रार्थी द्वारा

प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र में कोई ठोस विधिक आधार, किसी शर्त उल्लंघन या राज्य सरकार के आदेश में किसी त्रुटि का उल्लेख नहीं है। "अतः प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

**निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)